बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापंक–4 / क्षे०स्था0 जनगणना (प्रशिक्षण एवं पूर्व परीक्षण)–12–01 / 2023–.....................(4) / रा0,

सेवा,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषय :– **भारत की जनगणना, 2021 एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतीकरण से संबंधित पटना, मधुबनी एवं दरभंगा जिलों के चयनित चार्जों में संपन्न किये गये पूर्व परीक्षण (Pre Test) कार्यों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष–2024–25 में संविदा सेवाएँ मद (2802) में राशि 2,57,543 / – (दो लाख संतावन हजार पाँच सौ तैंतालिस रूपये) मात्र की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

2. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष–2024–25 में मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01–जनगणना, 101–जनगणना आँकड़ों का कम्प्यूटरीकरण, 0403 जनगणना–2021 माँग संख्या–40 विपत्र कोड–40–3454011010403 के अंतर्गत संविदा सेवाएँ मद (2802) से कुल ₹2,57,543 / – (दो लाख संतावन हजार पाँच सौ तेतालिस रूपये) विकलनीय होगा।

3. भारत की जनगणना–2021 एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर के अद्यतनीकरण से संबंधित पटना, मधुबनी एवं दरभंगा जिलों के चयनित चार्जों–दरभंगा सदर प्रखंड, दरभंगा / नौबतपुर नगर पंचायत, पटना एवं मधुबनी (रहिका) प्रखंड, मधुबनी में पूर्व परीक्षण (Pre Test) कार्य कराया गया है।

4. भारत के महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–9 / 26 / 2015–CD (Cen), दिनांक–31.01.2019 के आलोक में स्वीकृत मापदण्डों के अनुरूप व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार से प्राप्त पत्र दिनांक–20.11.2024 के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. भारत की जनगणना, 2021 के लिए वित्तीय वर्ष–2019–20 में पूर्व परीक्षण (Pre-Test) कार्य में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मापदण्डों के अनुरूप स्वीकृत राशि कुल ₹2,57,543 / – (दो लाख संतावन हजार पाँच सौ तैंतालिस रूपये) मात्र निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	**जिला का नाम**	**(2802) संविदा सेवाएँ**
1	दरभंगा	1,31,445 / –
2	मधुबनी	1,26,098 / –
कुल–		**2,57,543 / –** **(दो लाख संतावन हजार पाँच सौ तैंतालिस)**

6. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्त्ता होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार से की जायेगी।

8. व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में राशि का व्यय/प्रतिपूर्ति स्वीकृत राशि के अधीन होगी तथा किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक का व्यय/प्रतिपूर्ति नहीं किया जाएगा।
9. राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–3758/वि०, दिनांक–31.05.2017 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही है।
10. राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
11. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।
12. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–4/क्षे०स्था0 जनगणना (प्रशिक्षण एवं पूर्व परीक्षण)–12–01/2023– (4)/रा०पटना–15,दिनांक–

ई–मेल

प्रतिलिपि :–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना/समाहर्त्ता, दरभंगा एवं मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा एवं मधुबनी/विभागीय प्रशाखा–05 (बजट शाखा), आवंटन निर्गत करने हेतु/अवर सचिव, प्रशाखा–02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–4/क्षे०स्था0 जनगणना (प्रशिक्षण एवं पूर्व परीक्षण)–12–01/2023–142 (4)/रा०पटना–15,दिनांक–25/3/25

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/3/25

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।